[illegible]

[illegible] 7202215060604475 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 19-11-22

[illegible]

CamScanner

CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :बूढ़नपुर
वाद संख्या :-4428/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202215060604428
चन्द्रशेखर सिंह प्रबन्धक राजीव ग्रामोद्योग संस्थान बनाम गावसभा
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सा‍किन–रसुआपार परगना–अतरौलिया तहसील–बूढ़नपुर, जनपद–आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र वादी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह प्रबन्धक, राजीव ग्रामोद्योग संस्थान रसुआपार नि0ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ ने राजस्व ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के खाता संख्या 510 के गाटा संख्या 420 रकबा 1.694हे0 मे से 0.810हे0 की भूमि को गैर कृषिक भूमि घोषित करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे मौजा रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ की उद्धरण खतौनी, आकार पत्र 41 व 45 व शपथ पत्र व खसरा, एवं अकृषिक भूमि सम्बन्धित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है जो मूल पत्रावली मे संलग्न है।

नायब तहसीलदार बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ ने अपनी जांच आख्या दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत की गयी है। जिसमे उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के खाता संख्या 510 के गाटा संख्या 420 रकबा 1.694हे0 मे से 0.810हे0 पर वादी चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह प्रबन्धक राजीव ग्रामोद्योग संस्थान रसुआपार नि0ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ भूमिधर अंकित है, जिसमे वर्तमान समय मे उक्त भूखण्ड मे कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा आवेदक चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह प्रबन्धक, राजीव ग्रामोद्योग संस्थान रसुआपार नि0ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा औद्योगिक मकान के रूप मे प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा न्यायालय द्वारा विधिक बटवारा हुआ है।

इंगित भूमि सार्वजनिक/सुरक्षित श्रेणी की भूमि नही है। उक्त आराजी मे कृषि कार्य न करने से अकृषिक लगान मुक्त किये जाने योग्य है। प्रस्तावित गाटा के सम्बन्ध मे धारा–133 दण्ड प्रकिया के अन्तर्गत पूर्व मे कोई वाद संस्थित नही हुआ। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना से प्रभावित नही है। उक्त भूमि गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

नायब तहसीलदार बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ की आख्या दिनांक 17.11.2022 पर निर्धारित प्रपत्रो पर आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के खाता संख्या 510 के गाटा संख्या 420 रकबा 1.694हे0 मे से 0.810हे0 की भूमि पर वादी द्वारा अकृषिक रूप मे प्रयोग की जा रही है, जिससे कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों मे प्रयुक्त नही की जा रही है। ऐसी स्थिति मे आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा–80(5) व नियम–85 के अन्तर्गत 48600.00रू0 (अड़तालिस हजार छ सौ रूपया मात्र) न्याय शुल्क आरोपित किया गया जो इण्डियन बैंक शाखा सिकुर्दीपुर जनपद आजमगढ़ मे चालान संख्या 09 दिनांक 17.11.2022 को जमा/दाखिल किया गया है जिसकी मूल प्रति पत्रावली मे संलग्न है। कोर्ट फीस रू0 रू 48600.00रू0 (अड़तालिस हजार छ सौ रूपया मात्र) का गैर न्यायिक स्टाम्प शुल्क जमा/दाखिल किया गया है जो मूल पत्रावली मे संलग्न है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता मे विहित प्राविधानों एवम् राज्य सरकार द्वारा समय समय विहित आदेश के परिपेक्ष मे न्याय शुल्क व उद्घोषणा शुल्क मे कमी पाये जाने पर आवेदक से भू–राजस्व बकाया की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी। ऐसी दशा मे उक्त आराजी मेजाई को अकृषिक एवं भू–राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना समाधीन प्रतीत होता है।

आदेश

अतः नायब तहसीलदार बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ की जांच आख्या दिनांक 17.11.2022 स्वीकार की जाती है। राजस्व ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ के खाता संख्या 510 के गाटा संख्या 420 रकबा 1.694हे0 मे से 0.810हे0 से खातेदार, राजीव ग्रामोद्योग संस्थान रसुआपार द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह नि0ग्राम रसुआपार परगना अतरौलिया तहसील बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ की भूमि धारा 80 के अनुसार भू–राजस्व रहित अकृषिक घोषित की जाती है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ को निःशुल्क भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Navin Prasad 19/11/22
उप जिलाधिकारी
बूढ़नपुर,आजमगढ़।

True Copy
22-11-22

CamScanner